—: आदेश:—

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम खानपुर में खसरा नम्बर 554 में आने जाने हेतु ग्राम महराना के खसरा नम्बर 472 रकबा 1.56 है0 की उत्तरी पूर्वी सीमा के सहारे 68 मीटर लम्बाई में व चौडाई 5 मीटर अर्थात 68 X 5 = 340 व.मी. अर्थात 0.0340 है. रास्ता दिया जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम महराना की वर्तमान बाजार दर 636855 प्रति हैक्टर है जिसके अनुसार राशि 21653/— की दुगुनी राशि 43306 रूपये निर्धारित की जाती है। नजरी नक्शा प्रदर्श— ''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज की जावे। उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। आवेदकगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त रास्ते को केवल रास्ते रूप उपयोग में लिया जावे। इस रास्ते की भूमि राजकीय भूमि रहेगी। प्रतिकार की राशि राजकोष में जमा रहेगी। प्रतिकार की राशि राजकोष में जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह क़ायम किऐ जावे।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज0)

निर्णय आज दिनांक 01-02-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बांद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज0)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.16 11:47:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner